



सीएसआईआर-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
सैक्टर 30-सी, चण्डीगढ़-160030 (भारत)

www.csio.res.in

विज्ञापन सं.नियमित01/2025

ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभ तिथि : 24.02.2025

ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि : 20.03.2025 (सायं 5.00 बजे तक)

सीएसआईआर-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईआर-सीएसआईओ), चण्डीगढ़, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के अधीनस्थ एक प्रमुख संस्थान है, जो माप-विज्ञान तथा उपकरण-विन्यास प्रौद्योगिकियों पर बल देते हुए विविध वैज्ञानिक क्षेत्रों में मूल एवं अनुप्रयुक्त दोनों प्रकार के बहु-विषयी अनुसंधान एवं विकास कार्यों में संलग्न है। संगठन कृषि उपकरण-विन्यास, जैव-चिकित्सा उपकरण-विन्यास, ऑप्टिकल उपस्कर एवं प्रणालियां, भू-वैज्ञानिक उपकरण-विन्यास, प्रिसीज़न यांत्रिक प्रणालियां, विश्लेषणात्मक तकनीकें तथा अनुसंधान एवं विकास सहायक सुविधाएं, कम्प्यूटेशनल उपकरण-विन्यास आदि क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को समर्पित है। सीएसआईआर-सीएसआईओ के केन्द्र नई दिल्ली व चेन्नै में है।

सीएसआईआर-सीएसआईओ में निम्नानुसार प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

| क्र.सं | पदनाम एवं श्रेणी | पद कोड | पदों की संख्या आरक्षण सहित | वेतन मैट्रिक्स | प्रतिमाह कुल परिलब्धियां (लगभग)** | अनिवार्य अर्हताएं | अधिकतम आयु सीमा (अंतिम तिथि के अनुसार) |
|--------|--|--------|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 1. | कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य) ग्रुप 'सी' | JSAG | 02 (यूआर) 01 (ओबीसी) | स्तर-2, सैल-1 (प्रारंभिक मूल वेतन ₹19,900-63,200) | ₹38,590/- - (चण्डीगढ़ में) | मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2/बारहवीं अथवा इसके समकक्ष [#] तथा समय-समय पर डीओपीटी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कम्प्यूटर पर टंकण गति*** | 28 वर्ष |
| 2. | कनिष्ठ सचिवालय सहायक (वित्त एवं लेखा) ग्रुप 'सी' | JSAFA | 01 (यूआर) | स्तर-2, सैल-1 (प्रारंभिक मूल वेतन ₹19,900-63,200) | ₹38,590/- - (चण्डीगढ़ में) | मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2/बारहवीं अथवा इसके समकक्ष [#] तथा समय-समय पर डीओपीटी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कम्प्यूटर पर टंकण गति*** | 28 वर्ष |
| 3. | कनिष्ठ सचिवालय सहायक (भं एवं क्रय) ग्रुप 'सी' | JSASP | 01 (यूआर)- पीडब्ल्यूबीडी* (एएसडी (एमए , एमओडी) आईडी, एसएलडी एमआई) और एमडी (एचएच, ओएच, वीएच) सहित के लिए आरक्षित | स्तर-2, सैल-1 (प्रारंभिक मूल वेतन ₹19,900-63,200) | ₹ 38,590/- (चण्डीगढ़ में) | मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2/बारहवीं अथवा इसके समकक्ष [#] तथा समय-समय पर डीओपीटी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कम्प्यूटर पर टंकण गति*** | 28 वर्ष |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------|-----------|---|--|--|---------|
| 4. | कनिष्ठ आशुलिपिक ग्रुप 'सी' | JSTEN | 04 (यूआर) | स्तर-4, सैल-1 (प्रारंभिक मूल वेतन ₹25,500-63, 200) | ₹ 50,439/ - (चण्डीगढ़ में) | मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2/बारहवीं अथवा इसके समकक्ष [#] तथा समय-समय पर डीओपीटी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आशुलिपि में दक्षता [@] | 27 वर्ष |
|----|----------------------------------|-------|-----------|---|--|--|---------|

संक्षेपक : यूआर-अनारक्षित; ओबीसी-अन्य पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूबीडी* (एएसडी (एमए एमओडी)ए आईडीए एसएलडीए एमआई) - ऑटिज्म बौद्धिक विकलांगताए विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारीए एकाधिक विकलांगता जिसमें (एचएचए ओएचए वीएच यानी अंधापन और कम दृष्टिए बहरा और सुनने में कठिनाईए लोकोमोटर विकलांगता सेरेब्रल पाल्सीए कुछ रोग ठीकए बौनापनए एसिड अटैक और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी) और बहरा-अंधत्व शामिल है।

** कुल परिलब्धियों का अर्थ नियमानुसार परिषद् कर्मियों को देय मकान किराए भत्ते एवं अन्य भत्तों सहित संबंधित ग्रेड वेतन के अनुसार दिनांक 01.01.25को वेतनमान के न्यूनतम पर अनुमानित कुल परिलब्धियां हैं।

*** डीओपीटी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी/30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाने पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समरूप है। इसके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। केडीपीएच से अभिप्राय कुंजी दबाव प्रति घंटा है।

10 वी कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद पास किया गया तीन वर्ष की अवधि का डिप्लोमा, उन पदों के संबंध में बारहवीं कक्षा के समकक्ष माना जाएगा जिनके लिए बारहवीं/10+2कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक याग्यता है। डिप्लोमा जिसे समकक्ष माना जाएगा एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम होगा और एक मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदान किया गया हो।

@ हिंदी अथवा अंग्रेजी में (आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए विकल्प के अनुसार) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की एक डिक्टेसन।

1. कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य/वि एवं ले/भं एवं क्र.):

कार्य अपेक्षा

कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य/वित्त एवं लेखा /भंडार एवं क्रय) : पदधारी को संबंधित प्रभागों के सामान्य प्रशासन/वित्त और लेखा/भंडार एवं क्रय के कार्यों में सहायता प्रदान करना अपेक्षित है, साथ ही उन्हें आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य शासकीय कार्य भी करने होंगे।

वांछनीय योग्यता

- नोटिंग और ट्रायपिंग का ज्ञान, सार लेखन, भाषा कौशल (मौखिक और लिखित) और अभिलेख अनुरक्षण का ज्ञान।

- ii. कंप्यूटर पर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर प्वाइंट के काम करने सहित हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में टंकण का ज्ञान

चयन प्रक्रिया:

चयन प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित सीएसआईआर प्रशासनिक सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली, 2020 के अनुसार होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

- विधिवत रूप से संवीक्षा हेतु गठित की गई संवीक्षा समिति द्वारा विज्ञापित मानदंडों के अनुसार टंकण या लिखित परीक्षा के बाद आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी

- निर्धारित मानकों के अनुसार टाइपिंग और कम्प्यूटर उपयोग में दक्षता परीक्षा :

टंकण परीक्षा हेतु विकल्प : उम्मीदवार को आवेदन जमा करते समय यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वह टंकण परीक्षा अंग्रेजी में देना चाहता है या हिंदी में।

टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर 10 मिनट की होगी तथा अंग्रेजी/हिंदी टंकण परीक्षा का मूल्यांकन वैबसाइट www.onecsir.res.in पर उपलब्ध और समय-समय पर संशोधित सीएसआईआर के दिनांक 13.07.2015 के पत्र सं. 5-1(116)/2011-पीडी में उल्लिखित अनुदेशों (टंकण गति एवं अनुमेय गलतियों संबंधी) के अनुसार किया जाएगा।

- **लिखित परीक्षा:**

कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य/वि. एवं ले./भं. व क्र.) के पदों के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और पैटर्न समय-समय पर यथासंशोधित सीएसआईआर दिशानिर्देशों के अनुसार परिशिष्ट-11 में दिया गया है।

लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे:

प्रश्न पत्र I-बौद्धिक क्षमता

प्रश्न पत्र II- सामान्य जागरूकता/अंग्रेजी भाषा।

प्रश्न पत्र-Iकेवल अर्हक प्रकृति का होगा।अंतिम मेधासूची लिखित प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र-II में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर बनाई जाएगी।

टंकण और कम्प्यूटर उपयोग में दक्षता परीक्षा के बाद प्रतियोगी लिखित परीक्षा या इसके विलोमतः आयोजित करने का निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा।

2. कनिष्ठ आशुलिपिक

कार्य अपेक्षा : पदधारी को सामान्य प्रशासन/वित्त एवं लेखा/कय एवं भंडार या संगठन के अन्य प्रभागों के कार्यों में सचिवीय/आशुलिपिक सहायता प्रदान करनी होगी या समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करने होंगे।

चयन प्रक्रिया:

चयन प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित सीएसआईआर प्रशासनिक सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली, 2020 के अनुसार होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

➤ आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा : आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी। कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिंदी (आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के अनुसार) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की डिक्टेसन दी जाएगी। प्रतिलेखन समय और प्रतिलेख के मूल्यांकन संबंधी विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है।

➤ लिखित परीक्षा :

कनिष्ठ आशुलिपिक के पदों के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और पैटर्न समय-समय पर संशोधित सीएसआईआर दिशानिर्देशों के अनुसार परिशिष्ट-III में दिया गया है। लिखित परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके निम्नानुसार तीन भाग होंगे :

प्रश्न पत्र I—सामान्य ज्ञान एवं तार्किक विज्ञता

प्रश्न पत्र II— सामान्य जागरूकता

प्रश्न पत्र III—अंग्रेजी भाषा एवं बोध

आशुलिपि में दक्षता परीक्षा के बाद प्रतियोगी लिखित परीक्षा या इसके विलोमतः आयोजित करने का निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा।

टाई मामले :

टाई मामले जहां दो या अधिक उम्मीदवारों ने समान कुल अंक अर्जित किए हों, का निपटान सीएसआईआर वेबसाइट www.csio.res.in पर उपलब्ध दिनांक 30.05.2023 के पत्र सं. 5-1(211)/2014-पीडी द्वारा जारी सीएसआईआर दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

सामान्य सूचना एवं शर्तें:

1. परिषद् सेवा के अंतर्गत लाभ :

- क. इन पदों पर सामान्य भत्ते यथा मंहगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) तथा परिवहन भत्ता(टीए) आदि, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय तथा सीएसआईआर में लागू है, प्रदान किए जाएंगे। परिषद् कर्मी सीएसआईआर आवास आबंटन नियमावली के अनुसार अपनी पात्रता के अनुसार क्वार्टर उपलब्ध होने पर आवास के हकदार है, ऐसे मामले में एचआरए प्रदान नहीं किया जाएगा।
- ख. प्रत्येक पद के वर्ग के समक्ष उल्लिखित परिलब्धियों के अतिरिक्त नई पैंशन योजना-2004, चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, कम्प्यूटर अग्रिम एवं गृह निर्माण अग्रिम आदि की सुविधाएं सीएसआईआर के नियमों के अनुसार उपलब्ध होंगी।

2. अन्य शर्तें :

- क. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- ख. सभी आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य अर्हताएँ और अन्य शर्तें पूरा करते हों। उन्हें परामर्श दिया जाता है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं पूरी करते हों। पात्रता के संबंध में मांगी गई किसी जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ग. निर्धारित की गई अनिवार्य अर्हताएं न्यूनतम हैं तथा केवल इन्हें पूरा करने पर उम्मीदवार को ट्रेड टैस्ट/लिखित परीक्षा इत्यादि (जो भी लागू हो) में बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विधिवत् गठित संवीक्षा समिति उम्मीदवारों के चयन के लिए स्वयं अपने मानदंड निर्धारित कर सकती है। अतः उम्मीदवार न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं के अतिरिक्त दसवीं एवं बाद की अर्जित समस्त अर्हताओं एवं अनुभव का उल्लेख अपने आवेदन में करें।
- घ. उम्मीदवार विज्ञापन में दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ने के बाद संगत शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव संबंधी जानकारी विधिवत् भरकर स्कैन की गई फोटोग्राफ सहित केवल ऑनलाइन मोड में अपलोड करें।
- ङ. निर्धारित अर्हताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों इत्यादि से प्राप्त की गई होनी चाहिए। अधूरे/अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों के बिना प्राप्त होने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय आवेदक को अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- च. उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा विधिवत् गठित कमेटी द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर की जाएगी। केवल चयनित उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र/अनुशासापत्र, आयु आदि सत्यापन हेतु जमा करने के लिए कहा जाएगा। यदि शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी और बाद में आवेदक द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्र/अनुशासापत्र आदि के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवार का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार को भविष्य में इस संगठन में आवेदन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

छ. अनिवार्य अर्हताओं की समकक्ष शर्त के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की अपेक्षाओं के अनुसार किसी विशिष्ट शैक्षिक अर्हता को समकक्ष मानते हुए दावा कर रहा है, तो उसे इससे संबंधित आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उस प्राधिकरण का विवरण (संख्या एवं तिथि सहित) भी देना होगा, जिसके अंतर्गत इसे समकक्ष माना गया है अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। डिप्लोमा जिसे निर्धारित योग्यता के समकक्ष माना गया हो, एक मान्यता प्राप्त कोर्स होना चाहिए एवं एक मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदान की गई होनी चाहिए।

10+2/XII अथवा इसके समकक्ष से तात्पर्य है कि भारत अथवा विदेश के मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र कि संबंधित विद्यार्थी ने 12/XII कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद प्राप्त 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा, उन पदों के संबंध में 12वीं कक्षा के समकक्ष माना जाएगा जिनके लिए 10+2/XII कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य योग्यता है। जेएसए (एफ एंड ए) पदों के संबंध में, डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अकाउंटेंसी विषय होने से इसे समकक्ष माना जाएगा। डिप्लोमा, जिसे समकक्ष माना जाना है, एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम होगा और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदान किया गया होगा।

ज. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव की अवधि, यदि कोई हो तो, को आवेदन पत्र में अवश्य दर्शाया जाना चाहिए। संबंधित विषय/कार्य के क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां निर्धारित है, की गणना उस ग्रेड के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी।

झ. यदि कोई प्रमाणपत्र/दस्तावेज़ हिंदी अथवा अंग्रेजी से इतर किसी अन्य भाषा में दिया जा रहा है तो राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित उसकी अंग्रेजी अथवा हिंदी प्रति साथ में संलग्न की जाए

ञ. अधिकतम आयु सीमा, योग्यता एवं/अथवा अनुभव निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।

ट. भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बशर्ते कि पद पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्त हो।

ठ. संस्थान लिंग अनुपात आधारित जनशक्ति स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, अतः महिला कर्मियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ड. चयनित उम्मीदवार संस्थान में पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे। परिवीक्षा अवधि को सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने पर मौजूदा नियमों के अनुसार उनकी सेवा के स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा।

- ढ. राजभाषा नियमों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना होगा।
- ण. परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर भी यह नियुक्ति किसी भी समय नियोक्ता अथवा नियुक्त कर्मी द्वारा एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताए समाप्त की जासकती है। हालांकि नियोक्ता प्राधिकरण तत्काल अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि के समाप्तहोने से पूर्व नोटिस की अवधि अथवा इसके शेष भाग के समय के वेतन व भत्तों का भुगतान करके नियुक्त कर्मी की सेवाओं को समाप्त कर सकता है।
- त. परिषद् की सेवा के दौरान भारत में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है। सीएसआईआर-सीएसआईओ जनहित में किसी भी कर्मी को एक प्रयोगशाला/संस्थान से दूसरेमें या उसके किसी विस्तार/क्षेत्रीय केन्द्र में स्थानांतरित कर सकता है। निदेशक, सीएसआईआर-सीएसआईओ किसी भी कर्मचारी को संगठन/प्रयोगशाला मुख्यालय से इसके विस्तार/क्षेत्रीय केन्द्र या विलोमतः स्थानांतरित कर सकते हैं।
- थ. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के प्रावधान तथा परिषद् कर्मियों पर लागू समय-समय पर प्राप्तहोने वाले ऐसे कोई अन्य नियम या निष्पादन आदेश लागू होंगे जिनकी नियुक्ति के संबंध में प्रयोज्यता होगी तथा उनकी प्रयोज्यता के संबंध में परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।
- द. चयन किए गए उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान सीएसआईआर-सीएसआईओ में अथवा कहीं और नियुक्ति के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि उन्होंने पहले ही किसी अन्य संगठन में किसी पद के लिए आवेदन दिया है तो उन्हें ऐसे आवेदनों का विवरण इस संस्थान में कार्यग्रहण के तत्काल बाद देना होगा।
- ध. किसी विशेष पद को न भरने का अधिकार सीएसआईआर-सीएसआईओ के पास सुरक्षित है। उपरोक्त उल्लिखित रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तथापि, आवश्यकतानुसार इनमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना हमारी वेबसाइट पर दी जाएगी।
- न. विज्ञापन में विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किए गए विषय पर निदेशक, सीएसआईआर-सीएसआईओ का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- य. पात्रता, आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, चयन की पद्धति, परीक्षा लेने संबंधी सभी मामलों में सीएसआईआर-सीएसआईओ का निर्णय अंतिम एवं उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा।
- र. किसी भी सिफारिश और/अन्य किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य प्रभाव पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

ल. किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

व. अद्यतन जानकारी (संवीक्षा सूची, परीक्षा की तिथि, टंकण परीक्षा, कम्प्यूटर परीक्षा, लिखित परीक्षा) के लिए नियमित तौर पर सीएसआईआर-सीएसआईओ की वैबसाइट www.csio.res.in देखें। इस भर्ती के संबंध में सीएसआईआर-सीएसआईओ की ओर से किसी प्रकार के संप्रेषण के लिए अपनी पंजीकृत ई.मेल भी देखते रहें।

3. आयु सीमा एवं छूट :

- क. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम तथा विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभागीय उम्मीदवारों (नियमित सीएसआईआर कर्मचारी) के लिए कोई आयुसीमा नहीं है, बशर्ते कि वे निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों।
- ख. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) के लिए आयु सीमा में छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी, बशर्ते की पद उस वर्ग के लिए आरक्षित हो। एससी/एसटी के लिए आयु में 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 10 साल की छूट होगी। भारत सरकार में पदों पर नियुक्ति के लिए आयु में छूट के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करने की शर्त पर होगी।
- ग. अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट की अनुमति नहीं है।
- घ. ओबीसी के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है और वह महत्वपूर्ण तिथि यानी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है। ओबीसी उम्मीदवार की पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों के आधार पर होगी। ओबीसी उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होना चाहिए। उनकी उप-जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों के साथ मेल खाना चाहिए, ऐसा न होने पर उनकी उम्मीदवारी पर किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत विचार नहीं किया जाएगा और अन्यथा पात्र होने पर उन्हें अनारक्षित माना जाएगा। (ओबीसी प्रमाणपत्र प्रारूप के लिए कृपया परिशिष्ट-V देखें)
- ड. भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार विधवाओं तथा पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को, जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो, ऊपरी आयु में उनके 35 वर्ष (अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए 38 वर्ष तथा एससी/एसटी वर्ग के लिए 40 वर्ष, जहां उनके लिए पद आरक्षित हों) के होने तक की छूट प्राप्त है। इस श्रेणी के तहत आयुसीमा में छूट का दावा करने वाली महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे :
- 1) विधवा के मामले में, पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र कि उसके बाद पुनः विवाह नहीं किया है।

11) तलाकशुदा महिलाओं तथा पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में तलाक या कानूनी रूप से अलग होने के प्रमाण के तौर पर कोर्ट के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति के साथ इस आशय का शपथ-पत्र कि तब से उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है।

च. दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों के लिए आयु में छूट : नेत्रहीन, मूक-बधिर एवं ऑर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों और केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट अन्य अपंगताओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट लागू होगी (ओबीसी के लिए कुल 13 और एससी/एसटी के लिए कुल 15 वर्ष), बशर्ते कि निर्णायक तिथि को आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र देना होगा कि उनकी शारीरिक अपंगता 40 प्रतिशत या अधिक है। किसी भी स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति इस शर्त पर होगी कि वे प्रत्येक संगत ग्रुप के पदों पर चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मेडिकल फिटनेस के मानदंडों के अनुसार चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ हों।

(1) बैचमार्क दिव्यांगता वाले (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों के लिए आरक्षण : (हॉरिजॉण्टल आरक्षण)
(पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र प्रारूप के लिए कृपया परिशिष्ट-IV देखें)

(11) आरक्षण के लिए बैचमार्क दिव्यांगता की सीमा तथा दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी : पदों पर आरक्षण/शर्तों में छूट के लिए केवल वे ही व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी संबंधित बैचमार्क दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। इस प्रकार की छूट तथा/अथवा आरक्षण प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय 7 के तहत नियम 18(1) के फॉर्म V, VI तथा VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके संशोधित प्रारूप के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 15.06.2017 के अनुलग्नक IV, IV (A) तथा IV (B) देखें।

(111) कनिष्ठ सचिवालय सहायक(सामान्य)/कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के लिए पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए अनुमेय विकलांगतासामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी-111 दिनांक 04.01.2021 के अनुसार होगी।

छ. आरक्षण/छूट का लाभ लेने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष नोट :

सभी उम्मीदवार जो ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी के तहत आरक्षण/छूट के इच्छुक हैं, सुनिश्चित करें कि वे नियमों/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के पात्र हैं। उनके पास उनके दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र उसी प्रारूप में उपलब्ध होने चाहिए जैसाकि नियमों/नोटिस में दिया गया है तथा वे उन्हें, विहित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे जब संस्थान द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। अन्यथा उनके ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी के तहत आरक्षण/छूट के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदन पर सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में ही विचार किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत नियुक्त उम्मीदवारों को एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित(यूआर) की सम्बद्ध श्रेणी के प्रति समायोजित कर दिया जाएगा।

ज. पूर्व-सैनिकों के लिए आरक्षण : (हॉरिजाण्टल आरक्षण)

(1) छूट एवं रियायतें : पूर्व-सैनिकों को आयु एवं शैक्षिक अर्हताओं में छूट समय-समय पर संशोधित होने वाले भारत सरकार एवं सीएसआईआर के आदेशों के अनुरूप दी जाएगी।

(2) पूर्व सैनिकों और ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशनड अधिकारियों को ऊपरी आयुसीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, बशर्ते कि पूर्वसैनिक ने आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को सुरक्षा बलों में सेवा शपथग्रहण के उपरांत कम से कम 6 महीने की सतत् सेवा की हो।

(3) ऐसे पूर्व-सैनिक, जिन्हें केन्द्र सरकार में पहले की सिविल सेवा में नौकरी मिली हो, को आयु सीमा में वही छूट प्रदान की जाएगी जो पूर्व-सैनिकों को केन्द्र सरकार में किसी उच्च पद पर अन्य नौकरी अथवा सेवा प्राप्त करने के लिए देय होती है। तथापि, इस प्रकार के उम्मीदवार केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिए आरक्षण, यदि कोई हो तो, के पात्र नहीं होंगे।

(4) उपर्युक्त 1 के अनुसार छूट प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें सुरक्षा बलों से कार्यमुक्त कर दिया गया है। पूर्व सैनिकों और ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशनड अधिकारियों के मामले में यह प्रमाणपत्र उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा इसमें उनके द्वारा रक्षा बलों में की गई सेवा की अवधि का उल्लेख भी होना चाहिए।

(5) एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस/एक्स-सर्विसमैनवर्ग के उम्मीदवारों को संबंधित श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित प्रमाणपत्र विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

(6) पूर्व-सैनिकों के लिए ऊपरी आयुसीमा में आवेदन करने की अंतिम तिथि को उनकी वास्तविक आयु में से उनके द्वारा सेना में की गई वास्तविक सेवा की अवधि को घटाकर छूट दी जाएगी तथा इसके अनुसार निर्धारित की गई आयु संबंधित पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष (ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 6 वर्ष एवं एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 8 वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(7) ऐसे पूर्व-सैनिक, जिसे केन्द्र सरकार में पूर्व-सैनिकों दिए जाने वाले आरक्षण के अंतर्गत पहले ही सिविल सेवा में ग्रुप 'सी' एवं 'डी' के पदों पर नियमित नौकरी मिली हो, को पूर्व-सैनिक श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, तथापि उन्हें केवल आयु सीमा में छूट देय होगी।

(8) पूर्व सैनिक द्वारा सेना में की गई "कॉल अप सर्विस" को भी आयु सीमा में छूट के लिए सेवा माना जाएगा।

(9) संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी कर्मी को आरक्षण के लाभ के लिए पूर्व-सैनिक माने जाने के लिए यह जरूरी है कि पद/सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय उसने पूर्व-सैनिक का स्थान अर्जित कर लिया हो तथा/अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य लेकर प्रस्तुत करेगा कि वह निर्धारित अवधि अर्थात् आवेदन की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्व-सैनिक का स्थान अर्जित कर लेगा।

(10) पूर्व सैनिक अथवा दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार, जो आयु सीमा, अर्हताओं व लिखित परीक्षा आदि के आधार पर योग्य होंगे, को आरक्षित श्रेणी में गिना जाएगा न कि सामान्य वर्ग के पदों पर, बशर्ते कि वे चयन के योग्य हों। पूर्व सैनिकों के मामलों में, आरक्षित या अनारक्षित पदों के

लिए पूर्व सैनिकों की आयु में कटौती की अनुमति है और इस तरह की छूट को आयु के संबंध में छूट नहीं माना जाएगा।

(11) पूर्व-सैनिकों को वेतन-सुरक्षा का लाभ देय नहीं होगा।

(12) पूर्व-सैनिक का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति, जिसने भारत संघ की थल सेना, नौसेना, वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो तथा पेंशन लाभ प्राप्त करने के बाद वह सेवानिवृत्त हुआ हो। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिन्होंने स्वयं अपने अनुरोध पर सेवानिवृत्ति ली हो और पेंशन अर्जित की हो ; अथवा (1) जिसे सेना से सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर/उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के आधार पर हटाया गया हो और उसे चिकित्सा अथवा अन्य किसी प्रकार की दिव्यांगात पेंशन जारी की गई हो ; अथवा (2) प्रतिष्ठान में छंटनी के कारण विनिर्दिष्ट अवधि की सेवा पूरी करने के बाद सेवा से हटाया गया हो, बशर्ते कि उसे उसके अनुरोध पर हटाया न गया हो अथवा कदाचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या बरखास्त न किया गया हो तथा साथ ही उसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई हो; तथा इसमें निम्नलिखित श्रेणियों की प्रादेशिक सेना के कार्मिक भी शामिल होंगे : (क) सतत् सन्निहित सेवाओं के पेंशन धारक (ख) सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग कार्मिक ; तथा (ग) शौर्य पुरस्कार विजेता।

(13) संघ की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत कार्मिक, जो सेवा से सेवानिवृत्ति पर पूर्व-सैनिक की श्रेणी में आएंगे, उन्हें नियुक्ति की निर्धारित अवधि के पूरा होने से एक वर्ष पूर्व पुनर्जगार के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी तथा वे पूर्व-सैनिकों को देय समस्त छूटों का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे, परन्तु संघ की सशस्त्र सेनाओं में उनकी सेवा की निर्धारित अवधि तक उन्हें सेवा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

(14) पूर्व-सैनिकों के बेटों, बेटियों और आश्रितों को आयु में छूट नहीं दी जाएगी।

(15) पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों के मामले में आवेदन पत्र के कॉलम में उन्हें अपनी डिस्चार्ज बुक/प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित प्रति की संख्या/तिथि (कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी) अंकित करनी होगी।

4. आवेदन कैसे करें :

1. योग्य उम्मीदवार हमारी वैबसाइट <http://www.csio.res.in> के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करें। उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट या अन्य कोई दस्तावेज सीएसआईआर-सीएसआईओ में डाक द्वारा या स्वयं आकर जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अन्य दस्तावेजों सहित अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट संदर्भ और आगामी सत्यापन के लिए अपने पास रखें। ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र के साथ कोई भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
2. यदि उम्मीदवार का वैध ई.मेल आई.डी. नहीं है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उसे नया वैध ई.मेल आई.डी. बनाना होगा।

3. ऑनलाइन आवेदन सीएसआईआर-सीएसआईओ वैबसाइट <http://www.csio.res.in> पर दिनांक 20.03.2025 सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे।
4. ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि 20.03.2025 तक सायं 5.00 बजे तक है।
5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
6. उम्मीदवार एक से अधिक पदों जेएसए (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय) के लिए अपनी प्राथमिकता प्रदर्शित करते हुए आवेदन कर सकते हैं। पदों का अंतिम आबंटन मैरिट एवं उम्मीदवार द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि चयन समिति के निर्णयानुसार वे संबंधित पद के पात्र हों। तथापि, उम्मीदवारों को कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के लिए अलग से आवेदन करना होगा।
7. सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रु.500/- (मात्र पाँच सौ रुपए) + जीएसटी का ऑनलाइन आवेदन शुल्क लागू है, जोकि अप्रतिदेय है। फीस केवल स्टेट बैंक कलैक्ट पर ऑनलाइन जमा की जाए। फीस के सफल भुगतान के बाद जारी हुई ट्रांसैक्शन संख्या ऑनलाइन आवेदन में भरी जानी आवश्यक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई.रसीद डाउनलोड करें तथा अपने पास सम्भाल कर रखें। ऑनलाइन फीस जमा कराने का तरीका सीएसआईआर-सीएसआईओ वैबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुदेशों में अंकित है।
8. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम/महिला/नियमित सीएसआईआर कर्मचारियों को आवेदन शुल्क में छूट होगी।
9. सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आदि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के मामले में उम्मीदवारों से अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमों के तहत दिए गए फार्मूले के अनुसार इसे प्रतिशत में बदलकर लिखें।
10. 'सबमिट बटन' पर क्लिक करने के बाद प्रदर्शित पृष्ठ पर जारी किया गया 'आवेदन फार्म नम्बर' प्राप्त होने पर ऑनलाइन आवेदन सफल माना जाएगा। कृपया इसे सावधानीपूर्वक नोट करके अपने पास रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आवेदन को दोबारा प्रिंट नहीं कर पाएंगे।
11. प्रस्तुत किया गया आवेदन वापिस नहीं लिया जा सकता तथा जमा की गई फीस की राशि भी किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जा सकती, न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए रिजर्व में रखा जा सकता है।

12. इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंत में हड़बड़ी से बचने के लिए समय पर आवेदन करें तथा ऑनलाइन तकनीकी कारणों/समस्याओं के आधार पर अंतिम तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी।
13. सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा जब वे उचित माध्यम सतर्कता क्लीयरेंस सहित नियोक्ता द्वारा इस प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित किए गए हों कि चयन की स्थिति में आवेदक को नियमानुसार कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। उचित माध्यम से किए गए आवेदन टाइप टेस्ट की निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पहले वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक, सीएसआईआर-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, सेक्टर 30-सी, चंडीगढ़-160030 तक पहुंच जाने चाहिए।
14. अपूर्ण (अर्थात् फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/लागू शंसापत्रों/आवेदन शुल्क (जहाँ भी लागू हों) आदि अपलोड के बिना) आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इन्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
15. ऑनलाइन आवेदन फार्म सफलतापूर्वक जमा करने के बाद उसकी किसी भी प्रकार की वापसी/आशोधन/रद्द होने की अनुमति नहीं है।
16. यदि आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी और बाद में जमा किए गए दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
17. सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने निर्धारित प्रमाणपत्रों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित आयु, योग्यता, अनुभव, जाति/आरक्षित श्रेणी के संदर्भ में सभी आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हों, ऐसा न होने पर उनकी उम्मीदवारी को रद्द माना जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा गलत दी गई कोई भी जानकारी/दस्तावेज, जोकि बाद की तारीख में ज्ञात होती है, की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, बेशक गलत जानकारी देने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई ही क्यों न की गई हो।
18. आवेदन पत्र में झूठी या गलत जानकारी देना आवेदन प्रक्रिया का उल्लंघन होगा।

नोट: इस विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण और उसके हिन्दी अनुवाद में कोई विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक

आयु सीमा और छूट:

क) अभ्यर्थी की आयु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभागीय अभ्यर्थियों (नियमित सीएसआईआर कर्मचारी) के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, बशर्ते कि उनके पास निर्धारित योग्यताएं हों।

| क्रमांक | श्रेणी | ऊपरी आयु सीमा से परे स्वीकार्य आयु छूट |
|--|--|--|
| 01 | एससी/एसटी | 5 वर्ष |
| 02 | ओबीसी | 3 वर्ष |
| 03 | पीडब्ल्यूबीडी (अनारक्षित) | 10 वर्ष |
| 04 | पीडब्ल्यूबीडी (ओबीसी) | 13 वर्ष |
| 05 | पीडब्ल्यूबीडी (एससी/एसटी) | 15 वर्ष |
| 06 | भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) | 3 वर्ष समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से सैन्य सेवा की कटौती के पश्चात्। |
| 07 | भूतपूर्व सैनिक (ओबीसी/एससी/एसटी) | 6/8/8 वर्ष। समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के पश्चात्। |
| समूह 'सी' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त अनुमेय छूट | | |
| 08 | विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं/न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाएं तथा पुनर्विवाह न करने वाली महिलाएं | 35 वर्ष की आयु तक |
| 09 | विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं/न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाएं तथा पुनर्विवाह न करने वाली महिलाएं(एससी/एसटी) | 40 वर्ष की आयु तक |

लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम/रूपरेखा

पद का नाम : कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य अथवा वित्त एवं लेखा अथवा भण्डार एवं क्रय)

लिखित परीक्षा का विवरण : इस पद हेतु ली जाने वाली परीक्षा में दो पेपर होंगे (पेपर-1 और पेपर-2)। केवल उन्हीं उम्मीदवारों का दूसरा पेपर चैक किया जाएगा जो पहले पेपर में न्यूनतम निर्धारित अंक (चयन समिति द्वारा निर्धारित) प्राप्त करेंगे। पेपर-1 कवालीफाइंग प्रकृति का है। मेरिट सूची पेपर-1 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

| | |
|--------------------|--|
| परीक्षा प्रणाली | ओएमआर आधारित अथवा कम्प्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ बहु विकल्प चयन परीक्षा |
| प्रश्नों का माध्यम | अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर अन्य प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे |
| परीक्षा का स्तर | 12वीं कक्षा |
| कुल प्रश्न | 200 |
| कुल आबंटित समय | 2 घंटे 30 मिनट |

पेपर-1 (आबंटित समय - 90 मिनट)

| विषय | कुल प्रश्न | अधिकतम अंक | नेगेटिव अंक |
|-------------------------|------------|--|------------------------------------|
| बौद्धिक क्षमता परीक्षा* | 100 | 200 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक) | इस पेपर में नेगेटिव अंकन नहीं होगा |

* बौद्धिक क्षमता परीक्षा में सामान्य विज्ञता, मात्रात्मक कौशल, तार्किक योग्यता, समस्या समाधान, स्थितिपरक निर्णय आदि शामिल किए गए हैं।

पेपर-2 (आबंटित समय- 1 घंटा)

| विषय | कुल प्रश्न | अधिकतम अंक | नेगेटिव अंक |
|------------------|------------|---|---|
| सामान्य जागरूकता | 50 | 150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक) | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा |
| अंग्रेजी भाषा | 50 | 150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक) | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा |

Sub: Skill Test Norms on Computer for the post of JSA (G/F&A/ S&P)

Typewriting Errors and Number of Corresponding Mistakes:

| Sl. No. | Description of Typewriting Errors | Number of Mistakes to be counted | |
|---------|---|----------------------------------|--------------|
| | | Hindi | English |
| 1. | Paragraph Indenting – It should be uniformly 5 spaces for each paragraph | One | One |
| 2. | Overlapping / Piling up of letters (also known as Faulty Shifting) | One | One |
| 3. | Overtyping /X'ing of word or even full line | One | One |
| 4. | Mis-spelt word including Transposition | One | One |
| 5. | Omission or Commission (In case of commission, it will be counted towards number of strokes in evaluation) | One | One |
| 6. | Erasing is not allowed | One | One |
| 7. | Repetition of any number of words (only once to be counted as mistake) | One | One |
| 8. | Each repeated mistake | One | One |
| 9. | Punctuation marks; Omission of punctuation marks in typing | Half | Half |
| 10. | Irregular Line Spacing Irregular left margin | Half Half | Half Half |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 11. | Highly Irregular Right margin Omission of Space between words | Half Half | Half Half |
| 12. | Difference in space , if not the following:- Full Stop – 2 spaces Question Mark – 2 spaces Exclamatory Mark – 2 spaces Coma Mark – 1 space Colon/Semi colon Mark – 1 space Hyphen (Beginning & after) – No Space | Half mistake each time | Half mistake each time |
| 13. | Wrong syllabification (Division of words) irregular division of words. Following is the description where division of words is permitted: - As they are pronounced, like precaution (pre-cau-tion) - Separating prefixes or suffixes - Words having double consonants (like Suc-cess) - Compound Words (like under-estimated) Where division of words is not at all permitted: - If there is only one syllable, then there will be no division - When only two / three letters remains to be typed - Figures and Proper Nouns are not divided. - Last word of Paragraph / page should not be divided. - Separating prefixes or suffixes | If there is any variation, than that is specified, it is to be counted as one mistake | If there is any variation, than that is specified, it is to be counted as one mistake. |
| 14. | Extra space in middle of the word | Half | Half |
| 15. | Extra space between words | Ignore | Ignore |
| 16. | Mechanical error or Machine mistakes can be ignored | Can be ignored | Can be ignored |
| 17. | Incomplete last word of the passage | No mistake | No mistake |
| 18. | Capital letter errors | Not Applicable | Half |

5% mistakes of total words typed are ignored.

| | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| Total strokes typed | : | 1600 |
| Words typed | : | $1600/5=320$ |
| Mistakes | : | 19 |
| Ignorable mistakes | : | $5\% \text{ of } 320=16$ |
| Admissible mistakes | : | $19-16=3$ |

As per formula : **No.of words (-) Number of Mistakes**

$$= \frac{10}{10} - 3$$
$$= 32-3$$
$$= \mathbf{29 \text{ w.p.m}}$$

क) कनिष्ठ आशुलिपिक के लिए प्रतियोगी लिखित परीक्षा की योजना

| | |
|------------------------|---|
| परीक्षा प्रणाली | ओएमआर आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय परीक्षा |
| प्रश्नों का माध्यम | अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे। |
| परीक्षा का मानक | 10+2/XII |
| प्रश्नों की कुल संख्या | 200 |
| आबंटित समय | कुल 2 घंटे (स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट) |

प्रतियोगी लिखित परीक्षा में केवल एक पेपर होगा, जिसके तीन भाग होंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

| भाग | विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | निगेटिव अंक |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------|---|
| I | सामान्य बौद्धिक और तार्किक परीक्षा | 50 | 50 | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। |
| II | सामान्य जागरूकता | 50 | 50 | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। |
| III | अंग्रेजी भाषा और अर्थग्रहण | 100 | 100 | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। |

ख) आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा

कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिंदी (आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए एक डिक्टेशन दिया जाएगा। प्रतिलेखन समय इस प्रकार है:

| क्रमांक | कौशल परीक्षण की भाषा | समय अवधि (मिनटों में) | स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों के लिए समय अवधि (मिनटों में) |
|---------|----------------------|-----------------------|--|
| 1 | अंग्रेजी | 50 | 70 |
| 2 | हिंदी | 65 | 90 |

ग) आशुलिपि परीक्षा के प्रतिलेखों का मूल्यांकन-गलतियों की प्रकृति

1. **पूर्ण गलतियाँ** : निम्नलिखित गलतियों को पूर्ण गलतियाँ माना जाता है:

- शब्द या अंक की प्रत्येक चूक। यदि शब्दों का कोई समूह छूट गया है, तो छूटे हुए शब्दों की वास्तविक संख्या के बराबर गलतियाँ मानी जाएंगी।
- किसी गलत शब्द या अंक का प्रत्येक प्रतिस्थापन। गलतियों की संख्या उन शब्दों/अंकों की संख्या के बराबर होगी जिन्हें अन्य शब्दों/अंकों से प्रतिस्थापित किया गया है। हालांकि, यदि

कोई अंक सही ढंग से लिखा गया हो, चाहे अंकड़ों में या शब्दों में, तो दोनों ही स्वीकार्य होंगे और उन्हें गलती नहीं माना जाएगा।

ग) ऐसे शब्द या अंक या शब्दों या अंकों के समूह जो बोलकर लिखवाए (डिक्टेट किए) गए अनुच्छेद में नहीं थे।

2. आधी गलतियाँ : निम्नलिखित को आधी गलतियाँ माना जाता है:-

- क) गलत वर्तनी, जिसमें किसी शब्द में अक्षरों का स्थानान्तरण और किसी शब्द से एक अक्षर या अक्षरों का लोप भी शामिल है। उचित संज्ञाओं और अपरिचित नामों की गलत वर्तनी को अनदेखा किया जाता है। यदि गलत तरीके से लिखा गया शब्द गद्यांश में एक से अधिक बार आता है तो इसे एक आधी गलती माना जाएगा।
- ख) एकवचन या बहुवचन संज्ञा का उपयोग करना और इसके विपरीत।
- ग) वाक्य की शुरुआत में छोटे अक्षर का उपयोग करना।

नोट

- क) एक शब्द में एक से अधिक त्रुटियाँ : सभी त्रुटियों को गिना जाता है लेकिन एक शब्द में गिने जाने वाली कुल गलतियाँ एक पूर्ण गलती से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ख) प्रत्येक गद्यांश के साथ शब्दों की एक सूची होगी जिसे एक से अधिक वर्तनी/रूपों में लिखा जा सकता है। शब्दों की सभी वर्तनी/रूप स्वीकार्य होंगे और उन्हें त्रुटि के रूप में नहीं गिना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि 'माननीय' शब्द को विभिन्न रूप में लिखा जाता है - इन सभी रूपों को सही माना जाएगा।
- ग) उम्मीदवारों के ऊपर वर्णित त्रुटियों या गलतियों के अलावा किसी भी प्रकार की त्रुटियों के लिए अंक नहीं काटे जाएँगे।

घ) उपरोक्त दिशा-निर्देश हिंदी आशुलिपि कौशल परीक्षा के लिए भी मान्य होंगे।

ड) आशुलिपि कौशल परीक्षा में गलतियों की गणना की विधिरू-

$$\text{त्रुटियों का प्रतिशत} = \frac{\text{पूर्ण गलतियाँ} + \text{आधी गलतियाँ}/2}{\text{मास्टर पैसेज में शब्दों की संख्या}} \times 100$$

मास्टर पैसेज में शब्दों की संख्या

प्रतिशत को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा। उदाहरण के लिए 5.009 को 5.01 माना जाएगा और 5.001 को 5.00 माना जाएगा।

नोट :- कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के लिए आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा के लिए अनदेखी की जा सकने वाली गलतियों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा :-

(I) 7%- अनारक्षित के मामले में।

(II) 10%- सभी आरक्षित श्रेणियों (ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ईएसएम, पीडब्ल्यूडी आदि) के मामले में

घ) मेरिट सूची तैयार करना

सीएसआईआर एसआरपी नियम, 2020 के भाग II के खंड II के नियम 6 के अनुसार:

- ।) आशुलिपि में प्रवीणता केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी।
- ।।) अंतिम मेरिट सूची प्रतियोगी लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।
- ।।।) मेरिट सूची में केवल वे उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

ड) प्रतियोगी लिखित परीक्षा और स्टेनोग्राफी में प्रवीणता परीक्षा आयोजित करने का क्रम

आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा के बाद प्रतियोगी लिखित परीक्षा अथवा इसके विपरीत, आयोजन क्रम चयन समिति द्वारा तय किया जा सकता है।

Performa-V

Form-V

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in cases of blindness)

[See rule 18(1)]

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recent Passport size Attested Photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum son/ wife/ daughter of Shri..... Date of Birth (DD/ MM/ YY) Age years, male/female Registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post Office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of :

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is

(A) He/ She has% (in figure)..... percent (in words) permanent Locomotor Disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

| Nature of Document | Date of Issue | Details of authority issuing certificate |
|--------------------|---------------|--|
| | | |

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability certificate is issued.

Form-VI
Certificate of Disability
(In case of multiple disabilities)
[See rule 18(1)]

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE
CERTIFICATE)

Recent Passport
size Attested
Photograph
(Showing face only)
of the person with
disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt/Kum
..... /son/wife/daughter of Shri

Date of Birth..... (DD)/(MM)/(YY) Ageyears,
male/female..... Registration No.....
permanent resident of House
No.....Ward/Village/Street.....
..... Post Office District.....
State whose photograph is affixed above, and are
satisfied that:

(A) He/she is a Case of Multiple Disability. His/her extent of
permanent physical impairment/disability has been evaluated as
per guidelines (.....number and date of issue of the
guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and
shown against the relevant disability in the table below:

| S. No | Disability | Affected part of body | Diagnosis | Permanent physical impairment/mental disability (in %) |
|-------|---------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| 1. | Locomotor disability | @ | | |
| 2. | Muscular Dystrophy | | | |
| 3. | Leprosy cured | | | |
| 4. | Dwarfism | | | |
| 5. | Cerebral Palsy | | | |
| 6. | Acid attack Victim | | | |
| 7. | Low vision | # | | |
| 8. | Blindness | # | | |
| 9. | Deaf | £ | | |
| 10. | Hard of Hearing | £ | | |
| 11. | Speech and Language disability | | | |
| 12. | Intellectual Disability | | | |
| 13. | Specific Learning Disability | | | |
| 14. | Autism Spectrum Disorder | | | |
| 15. | Mental illness | | | |
| 16. | Chronic Neurological Conditions | | | |
| 17. | Multiple sclerosis | | | |
| 18. | Parkinson's disease | | | |
| 19. | Haemophilia | | | |
| 20. | Thalassemia | | | |
| 21. | Sickle Cell disease | | | |

(B) In the light of the above, his /her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures:-percent

In words:-percent

2. This condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve / not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

Or

(ii) is recommended/ after years..... months, and therefore this certificate shall be valid till..... (DD)/(MM)/(YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

| Nature of Document | Date of Issue | Details of authority issuing certificate |
|--------------------|---------------|--|
| | | |

5. Signature and seal of the Medical Authority.

| | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | |
| Name and seal of Member | Name and seal of Member | Name and seal of the Chairperson |

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form-VII

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)
(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE
CERTIFICATE)
[See rule 18(1)]

Recent Passport
size Attested
photograph
(Showing face
only) of the
person with
disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum
..... son/wife/daughter of Shri
Date of Birth..... (DD)/(MM)/(YY) Age years,
male/female..... Registration No. permanent
resident of House No..... Ward/Village/Street
Post Office District..... State
whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she
is a case of disability. His/her extent of
percentage physical impairment/disability has been evaluated as
per guidelines (to be specified) and is shown against the relevant
disability in the table below:-

| S. No | Disability | Affected part of body | Diagnosis | Permanent physical impairment/mental disability (in %) |
|-------|---------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| 1. | Locomotor disability | @ | | |
| 2. | Muscular Dystrophy | | | |
| 3. | Leprosy cured | | | |
| 4. | Cerebral Palsy | | | |
| 5. | Acid attack Victim | | | |
| 6. | Low vision | # | | |
| 7. | Deaf | € | | |
| 8. | Hard of Hearing | € | | |
| 9. | Speech and Language disability | | | |
| 10. | Intellectual Disability | | | |
| 11. | Specific Learning Disability | | | |
| 12. | Autism Spectrum Disorder | | | |
| 13. | Mental illness | | | |
| 14. | Chronic Neurological Conditions | | | |
| 15. | Multiple sclerosis | | | |
| 16. | Parkinson's disease | | | |
| 17. | Haemophilia | | | |
| 18. | Thalassemia | | | |
| 19. | Sickle Cell disease | | | |

(Please strike out the disabilities which are not applicable.)

2. The above condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary

Or

(ii) is recommended/ after years months, and therefore this certificate shall be valid till (DD)/(MM)/(YY)

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

| Nature of Document | Date of Issue | Details of authority issuing certificate |
|--------------------|---------------|--|
| | | |

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned

(Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
certificate is issued by a medical
authority who is not a government
servant (with seal))

Signature/Thumb
impression of the person
in whose favour certificate
of disability is issued.

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India by Ministry of Social Justice and Empowerment vide notification number 489, dated 15.06.2017.

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF
INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter of
_____ of _____ village/town
_____ in _____ District/Division
_____ in the State/Union Territory _____
belongs to the _____ community which is recognised
as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and
Empowerment's Resolution No. _____ dated
_____. * Shri/Smt./Kumari _____ and /or his/her
family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the
_____ State/Union Territory. This is also to certify that
he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in
Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel &
Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8.9.1993, OM No. 36033/3/2004-
Estt. (Res) dated 9th March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 14th
October, 2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27th May, 2013**.

Signature _____
Designation _____ \$

Dated: _____

Seal

*- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** - As amended from time to time.

\$ - List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Note:- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.